



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29-01-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना बेहट पुलिस द्वारा मात्र 04 घण्टे में 03 माह की बच्ची के अपहरण की घटना का सफल**  
**अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद किया गया।**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2024 को समय 17.30 बजे वादिया श्रीमती महक पत्नी मुत्तलिब निवासी ग्राम रीढीमोहिदीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर के लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादिया की 03 माह की बच्ची का अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 32/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए बच्ची की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व पूछताछ के बाद अभियुक्तगणों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर अभियुक्तगणों (1). बक्कार अहमद पुत्र एजाज अहमद निवासी 62 फुटा रोड धोबी वाला थाना मण्डी जिला सहारनपुर 2. मुस्कान पत्नी बक्कार अहमद निवासी 62 फुटा रोड धोबी वाला थाना मण्डी जिला सहारनपुर को मय अपहृत बच्ची सनाया उम्र करीब 03 माह के सहित मोहल्ला हबीबगढ थाना क्षेत्र मण्डी जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हमारे कोई लड़की नहीं है इसी वजह से हम दोनो पति पत्नी ने महक की बच्ची को चोरी करने का षडयंत्र रचा। इसी कारण हम दोनो ने योजना बनाकर गलत नाम पते से महक से जान पहचान बढ़ायी और हम सनाया को उसके घर से चोरी करके ले गये।

**घटना का विवरण:-** दौराने विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त बक्कार अहमद व उसकी पत्नी मुस्कान कुछ समय पूर्व रास्ते में वादिया महक से मुलाकात हुई थी जिसके बाद अभियुक्तगण वादिया के सम्पर्क में आये और उससे अपना गलत नाम बताकर वादिया से जान-पहचान बढ़ाना शुरू कर दिया तथा उसके घर पर आने जाने लगे जिस कारण अभियुक्तगणों ने वादिया पर अपना विश्वास जमा लिया जिसके चलते दिनांक 28.01.24 को पूर्व योजना के आधार पर अभियुक्त गण वादिया के घर पर आये जिसके बाद बातों में लगाकर अभियुक्ता मुस्कान वादिया व उसकी बच्ची बाजार कपडे दिलाने के बहाने ले गयी। तथा वादिया को धोखे में रखकर उसकी बच्ची को लेकर अपने पति बक्कार के साथ वहा से फरार हो गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-**

- (1). बक्कार अहमद पुत्र एजाज अहमद निवासी 62 फुटा रोड धोबी वाला थाना मण्डी जिला सहारनपुर
- (2.) मुस्कान पत्नी बक्कार अहमद निवासी 62 फुटा रोड धोबी वाला थाना मण्डी जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

01. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
02. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 03 उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 04 .है0का0 521 सुनील राणा थाना बेहट जिला सहारनपुर
05. है0का0 586 राजीव पंवार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
06. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
07. का0 1594 मोहित धामा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
08. का0 1850 मन्जीत सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक- 29.01.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस व 01 मोटरसाईकिल बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थ/अवैध चरस के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान **02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1.सन्दीप पुत्र शोभाराम निवासी नंगली 264 थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा 2.मान सिंह पुत्र रसपाल निवासी नंगली 264, थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा को** हथनीकुण्ड चौकी बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस व 01 मोटरसाईकिल जिसका नम्बर HR 71 C 5309 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 14/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम अधिक पैसे कमाने के लालच में विकासनगर (देहरादून) से चरस खरीद कर आस पास के क्षेत्र में बेचते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। जो चरस हमसे बरामद की गयी है उसे आज हम बेचने जा रहे थे तभी पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

- 1.सन्दीप पुत्र शोभाराम निवासी नंगली 264 थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा।
2. मान सिंह पुत्र रसपाल निवासी नंगली 264, थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा।

#### **बरामदगी का विवरण-**

- 300 ग्राम अवैध चरस
- 01 हीरो होण्डा एच एफ डिलक्स मोटरसाईकिल (HR 71 C 5309)

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -**

- 1.उ0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 2.हेका0 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 3.का0 1131 सुरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 29-01-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बिहारीगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को एक एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **चिंटू पुत्र नानकू निवासी फतेहपुर पेलियो थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0स0 188/12 मुकदमा नं0 992/20 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम चालानी थाना बिहारीगढ़ को इसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-**

चिंटू पुत्र नानकू निवासी फतेहपुर पेलियो थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम**

1. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।
2. का0 2226 अमित कुमार थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।



दिनांक 29.01.2024

## -प्रेस नोट -

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नाजायज तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस

## .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम, अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.01.24 को मुखबिर की सूचना के पर चैकिंग के दौरान **अभियुक्त समीर पुत्र सलीम निवासी चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को लोहे के गोदाम के गेट कस्बा कोतलीली नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 14/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने यह तमंचा व कारतूस काफी समय पहले युमनानगर, हरियाणा से एक व्यक्ति से खरीदा था। मैं यह तमंचा लोगो को डराने धमकाने व रोब झाडने के लिये अपने पास रखता हूँ। आज जब मैं किशानपुरा नाला पटरी के पास खड़ा था तभी पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र सलीम निवासी चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

### गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त समीर का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 232/17 धारा 4/25 आर्म्स थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 139/19 धारा 4/25 आर्म्स थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 02/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 355/17 धारा 380/457 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 312/17 धारा 4/25 आर्म्स थाना सदर बाजार सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण-

01 नाजायज तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. कां0 1065 अनुज पाल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. कां0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर



दिनांक 29.01.2024

## -प्रेस नोट -

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.01.24 को वारंटी अभियुक्त विजयपाल पुत्र कश्मीरा निवासी शान्तिनगर जेल चुंगी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0- 2312/23 , मु0अ0स0 146/23 धारा 354/354डी भादवि व 7/8 पोक्सो अधि0 थाना को0नगर स0पुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विजयपाल पुत्र कश्मीरा निवासी शान्तिनगर जेल चुंगी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 कौशल कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- का0 2244 अनुराग यादव थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 29.01.2024

-प्रेस नोट -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहरण का 01 वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.1.24 को वादी श्री महफूज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम संगमोर थाना चिलकाना सहारनपुर की लिखित तहरीर पर प्रतिवादी असजद पुत्र मुख्तयार निवासी ग्राम सगमोर थाना चिलकाना सहारनपुर के विरुद्ध वादी की नाबालिग लडकी की बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 10/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में घटना का संज्ञान लेते हुये अपहृता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.1.2024 नामजद अभियुक्त असजद पुत्र मुख्तयार निवासी ग्राम सगमोर थाना चिलकाना सहारनपुर को सम्बन्धित मु0अ0स0 10/2024 धारा 363 भादवि व बढोत्तरी धारा 366/376 भादवि व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम में सुल्तानपुर बाईपास तिराहे करबा चिलकाना के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

असजद पुत्र मुख्तयार निवासी ग्राम सगमोर थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विनोद सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2208 रोहित यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांक- 29.01.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 45 पाउच  
देशी शराब महबूबा गोल्ड यूपी मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सुशील उर्फ शीलू पुत्र तुंगल निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम दुमझेडी के बैंगनी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 45 पाउच देशी शराब महबूबा गोल्ड यूपी मार्का बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 24/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ अधिक पैसे कमाने के लिये मैं आस पास के क्षेत्र में अधिक दामो पर देशी शराब बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

अभियुक्त सुशील उर्फ शीलू पुत्र तुंगल निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 29/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

मु0अ0स0 368/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

मु0अ0स0 609/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

मु0अ0स0 24/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

45 पाउच देशी शराब महबूबा गोल्ड यूपी मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

2. हे0का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।





दिनांक- 29.01.2024

**-प्रेस नोट-**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस व 01 मोटरसाईकिल बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थ/अवैध चरस के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान **02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1.सन्दीप पुत्र शोभाराम निवासी नंगली 264 थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा 2.मान सिंह पुत्र रसपाल निवासी नंगली 264, थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा को** हथनीकुण्ड चौकी बाँर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस व 01 मोटरसाईकिल जिसका नम्बर HR 71 C 5309 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 14/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम अधिक पैसे कमाने के लालच में विकासनगर (देहरादून) से चरस खरीद कर आस पास के क्षेत्र में बेचते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। जो चरस हमसे बरामद की गयी है उसे आज हम बेचने जा रहे थे तभी पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

- 1.सन्दीप पुत्र शोभाराम निवासी नंगली 264 थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा।
2. मान सिंह पुत्र रसपाल निवासी नंगली 264, थाना बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा।

#### **बरामदगी का विवरण-**

- 300 ग्राम अवैध चरस
- 01 हीरो होण्डा एच एफ डिलक्स मोटरसाईकिल (HR 71 C 5309)

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -**

- 1.उ0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 2.हेका0 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 3.का0 1131 सुरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 29-01-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि आज दिनांक 29.01.2024 को वादी धीरा बाल्मिकी पुत्र साधूराम निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके गाँव के 1-असलम पुत्र लिल्ला 2- बल्लू पुत्र खेरु निवासीगण ग्राम कुँण्डाकला थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा घर पर आकर जमीन खाली करने को कहकर वादी व वादी की पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट व जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मुस्लिम धर्म अपना लेने को कहना न अपनाने पर जमीन पर न रहने देने व जान से मारने की धमकी देते रहते हैं तथा लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने को कहते रहते हैं। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0-25/24 धारा 452/323/504/506 भादवि व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0, 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी एसटी बनाम असलम व बल्लू उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 1-असलम पुत्र लिल्ला 2- बल्लू पुत्र खेरु निवासीगण ग्राम कुँण्डाकला थाना गंगोह सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर कुण्डा कला बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पता**

- 1- असलम पुत्र लिल्ला निवासी ग्राम कुँण्डाकला थाना गंगोह सहारनपुर।
- 2- बल्लू पुत्र खेरु निवासी ग्राम कुँण्डाकला थाना गंगोह सहारनपुर।

#### **अभियुक्त असलम का आपराधिक इतिहास:-**

- (1) मु0अ0सं0- 61/2008 धारा 147/148/323/324/354/426/504/506 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0- 366/14 धारा 506 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (3) मु0अ0सं0- 858/19 धारा 138 विद्युत अधिनियम चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (4) मु0अ0सं0- 25/24 धारा 452/323/504/506 भादवि व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0, 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी एसटी

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 नीरज कुमार गुप्ता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 1037 विराट सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 4- है0का0 346 हरेन्द्र सिंह धामा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 5- का0 2521 राजेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 29.01.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को वांछित अभियुक्त इरशाद उर्फ दमकडी पुत्र मतलूब निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर को संबंधित मु0अ0सं0 01/2024 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 में कलसिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. इरशाद उर्फ दमकडी पुत्र मतलूब निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर।

### अभियुक्त साजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 -33/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना बेहट, सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 01/2024 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0, थाना बेहट, सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 214/15 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट, थाना बेहट, सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है0का0586 सुनील राणा थाना बेहट जिला सहारनपुर।
4. है0का0521 राजीव पंवार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
5. का01323 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 29.01.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 वारण्टी अभियुक्त फोनी पुत्र रहतू नि0 ग्राम खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या – 2565/22 मु0अ0सं0- 311/03 धारा – 323/324/504 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए को इसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फोनी पुत्र रहतू नि0 ग्राम खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. का0 2217 दीपक कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 29-01-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में अपराधियों की धर पकड़ हेतु गठित टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 26/24 धारा 386 भादवि के अभियुक्त इकबाल पुत्र लियाकत नि0 ग्राम कुण्डा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर मुखबिर की सूचना पर ग्राम सरकड जाने वाली सडक पर नवीन जैन के खेत के पास समय 14.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पता:-**

इकबाल पुत्र लियाकत नि0 ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 159/18 धारा 279/338/427 भादवि थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 61/08 धारा 147/148/323/324/354/426/504/506 भादवि
3. मु0अ0सं0 125/14 धारा 60/72 एक्सआईज अधि0
4. मु0अ0सं0 383/13 धारा 147/148/149/186/307/323/353/504/506 भादवि

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 नीरज गुप्ता थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 महीपाल सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है0का0 1037 विराट सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. है0का0346 हरेन्द्र सिंह धामा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 2521 राजेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 29-01-2024

**श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-**

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.12.2009 को वादी थानाध्यक्ष श्री पानसिंह त्यागी थाना बेहट जनपद सहारनपुर के द्वारा 1-अशवनी उर्फ सोनी पुत्र पप्पी उर्फ कारवीर 2-मिथुन पुत्र अमन सिंह नि० चानचक थाना बिहारीगढ सहारनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु०अ०सं० 356/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बेहट पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं०-113/24 पर माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को अभियुक्त **1-अशवनी उर्फ सोनी पुत्र पप्पी उर्फ कारवीर** को मु०अ०सं० 356/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में दोषी पाते हुए **04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री मेघराज चौहान  
विवेचक-थाना प्रभारी देवेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर सहारनपुर।  
पैरोकार का० 1752 रवि कुमार जनपद सहारनपुर।



**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 29-01-2024

**श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-**

अवगत कराना है, कि दिनांक 20.03.2021 को वादी थानाध्यक्ष श्री संजीव त्यागी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के द्वारा 1-इसरान पुत्र इकराम नि० सलेमपुर थाना सरसावा 2-नौषाद पुत्र असलम नि० सडक कातला थाना चिलकाना 3-अकित पुत्र इन्द्रपाल नि० रज्जापुर थाना फतेहपुर सहारनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु०अ०सं० 65/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना फतेहपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं०-446/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनीटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को अभियुक्त **1-इसरान पुत्र इकराम** को मु०अ०सं० 65/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में दोषी पाते हुए **03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री मेघराज चौहान

विवेचक-श्री राजेश कुमार भारती

पैरोकार का० 378 बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।